जीसीएमएस नबंर:–2014/00091

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी: सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0

41/2014

1. सुनील कुमार पुत्र रणवीर कड़वासरा जाति जाट निवासी 12 एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. ओमप्रकाश पुत्र उदय सिंह जाति जाट निवासी 12 एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत 15 एसपीएम तहसील सादुलशहर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत 15 एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. अनिल कुमार पुत्र सुन्दर लाल जाति जाट निवासी 9 एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. रामनिवास पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी 9 एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

> निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 13.07.1996 जिसकी रूह से अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से भूखण्ड संख्या डी–13 व डी–14 अंकित करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में गलत रूप से आवंटन किया गया। आवंटन निरस्त किये जाने योग्य।

उपस्थित :–

1. श्री गुरचरण सिंह अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री तेजा सिंह अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या–2 व 3

:: आदेश ::

दिनांक: 29.05.2026

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि :–

1. यह कि प्रार्थीगण ग्राम पंचायत 15 एसपीएम के करदाता है और जागरूक नागरिक है। प्रार्थीगणो की ग्राम पंचायत 15 एसपीएम की आबादी भूमि 12

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

एसपीएम में प्रार्थीगण निवास करते है। प्रार्थीगण का पुराना मकान भूखण्ड संख्या ए–28 व ए–29 में बना हुआ है जिनका साईज 75X100 फुट है और इसके सामने विकास आबादी की 100X150 फुट जगह पर प्रार्थीगणों का पिछले 50 वर्षो से कब्जा है। इस जगह को प्रार्थीगण बनछटियां व कृषि औजार व पशुओं को बांधने के काम में इस्तेमाल कर रहे है। दिनांक 03.08.2014 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 प्रार्थीगणों के कब्जा की उक्त जगह पर मिट्‌टी डालकर कब्जा करने लगे तो प्रार्थीगणों ने उनको रोका तो नही रूके। इस पर पुलिस चौकी गणेशगढ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस दौरान अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अपने पास सरपंच साहब राम खोथ द्वारा जारी पट्‌टा भूखण्ड संख्या डी–13 व डी–14 लिखा हुआ दिखाया जिस पर सर्वप्रथम प्रार्थीगणो को पता चला कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा पूर्व सरपंच साहबराम खोथ आपसी सांठ–गांठ करके विकास आबादी में गलत तरीके से उक्त भूखण्डो का आवंटन करवा लिया है जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत से उक्त पट्‌टो की प्रतियो की मांग की गई तो उसने बताया कि इन व्यक्तियों के नाम से कोई भी आवंटन का रिकॉर्ड नहीं है जिस पर बिना प्रमाणित प्रतियों के उक्त निगरानी प्रस्तुत की जा रही है जिसको निरस्त करवाने के लिए निगरानी प्रार्थीगणो की ओर से निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यह कि पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत 15 एसपीएम द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.1996 विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण व एकपक्षीय तौर पर पारित किया गया होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उस समय ग्राम पंचायत 15 एसपीएम के सरपंच साहबराम खोथ के भतीजे थे जो कि गांव 9 एसपीएम में निवास करते थे। उक्त दोनो व्यक्ति भी ग्राम पंचायत 15 एसपीएम के चक 12 एसपीएम में कभी भी आबादी नहीं रहे। पूर्व सरपंच साहबराम खोथ द्वारा अपने पारिवारिक सदस्यों को लाभ पहुचाने के उद्देश्य से आबादी भूमि चक 12 एसपीएम के नक्शा में भुखण्ड संख्या डी–13 व डी–14 साईज 60X100 फुट अंकित करते हुए गलत रूप से आबादी भूमि से नक्शा से छेड़छाड करते हुए विकास आबादी की जगह पर गलत रूप से आवंटन कर दिया, जबकि मौका पर प्रार्थीगणों का कब्जा था, और अनुमादित नक्शा में जो भुखण्डो की किस्म, साईज, तादाद बताई गई है उसमें डी श्रेणी का कोई भी भुखण्ड ग्राम पंचायत में होना नहीं दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत विकास आबादी के प्राकृतिक को बदल कर आबादी के रूप में आवंटन खारिज किये जाने योग्य है।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

3. यह कि अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा , अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में गुपचुप तरीके से , गलत रूप से आबादी भूमि का आवंटन कर दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आवंटन से पूर्व न तो कोई बैठक बुलायी गयी और ना ही कोई प्रस्ताव पारित किया गया और ना ही अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से कोई आवेदन लिया गया और ना ही मौका की कोई रिपोर्ट मंगवायी गयी। तत्कालीन सरपंच द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर फर्जी तरीके से कार्यवाही करते हुए बाजार से आबादी भूमि का विक्रय विलेख का फार्म खरीद कर उस पर हस्ताक्षर करके दे दिये जो समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि सरपंच ग्राम पंचायत 15 एसपीएम द्वारा आवंटन के समय पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 142–166 की पालना नहीं की गई और बिना कानूनी प्रावधानों के उक्त आवंटन अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के हक में कर दिया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

5. यह कि उक्त फर्जी पट्टा की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.08.2014 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 प्रार्थीगणो के कब्जा की उक्त जगह पर मिट्टी डालकर कब्जा करने लगे तो प्रार्थीगणों ने उनको रोका तो नहीं रूके। इस पर पुलिस चौंकी गणेशगढ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस दौरान अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अपने पास सरपंच साहबराम खोथ द्वारा जारी पट्टा भूखण्ड संख्या डी–13 व डी–14 लिखा हुआ दिखाया जिस पर सर्वप्रथम प्रार्थीगणो को पता चला कि अप्रार्थी संख्या–2 व 3 द्वारा पूर्व सरपंच साहबराम खोथ से आपसी सांठ–गांठ करके विकास आबादी में गलत तरीके से उक्त भुखण्डो का आवंटन करवा लिया है जिस पर सरपंच पंचायत से उक्त पट्टो की प्रतियो की मांग की गई तो उसने बताया कि इन व्यक्तियों के नाम से कोई भी आवंटन का रिकॉर्ड नहीं है जिस पर बिना प्रमाणित प्रतियों के उक्त निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। निगरानी जानकारी से समय अवधि में है, निगरानी पेश करने की कोई समय अवधि नये व पुराने अधिनियम में नहीं है किन्तु फिर भी धारा 5 किा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 13.07.1996 जिसकी रूह से अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा विधि विरूद्व तरीके से भूखण्ड संख्या डी–13 व डी–14 अंकित करते हुए अप्रार्थी संख्या–2 व 3 के पक्ष में गलत रूप से आवंटन किया गया आवंटन निरस्त किया जावें।

निगरानी से सबंधित मूल रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी वहस में कथन किया कि पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत 15 एसपीएम द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.1996 विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण व एकपक्षीय तौर पर पारित किया गया होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा , अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में गुपचुप तरीके से , गलत रूप से आबादी भूमि का आवंटन कर दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आवंटन से पूर्व न तो कोई बैठक बुलायी गयी और ना ही कोई प्रस्ताव पारित किया गया और ना ही अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से कोई आवेदन लिया गया और ना ही मौका की कोई रिपोर्ट मंगवायी गयी। तत्कालीन सरपंच द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर फर्जी तरीके से कार्यवाही करते हुए बाजार से आबादी भूमि का विक्रय विलेख का फार्म खरीद कर उस पर हस्ताक्षर करके दे दिये है। सरपंच ग्राम पंचायत 15 एसपीएम द्वारा आवंटन के समय पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 142–166 की पालना नहीं की गई और बिना कानूनी प्रावधानों के उक्त आवंटन अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के हक में कर दिया गया । अतः निगरानीकर्तागण कि निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 13.07.1996 जिसकी रूह से गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 द्वारा विधि विरूद्व तरीके से भूखण्ड संख्या डी–13 व डी–14 अंकित करते हुए गैरनिगरानीकर्ता संख्या–2 व 3 के पक्ष में गलत रूप से आवंटन किया गया को निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त प्लाट डी–13 व डी–14 दिनांक 13.07.1996 को अलॉट हुआ था। अलॉटमेन्ट के रोज से ही प्लॉट डी–13 व डी–14 पर पट्टाधारक की हैसियत से कब्जा हमारा चला आ रहा है जबकि निगरानीकर्तागण के पास कोई टाईटल नहीं है। रेवेन्यु कोर्ट मैन्युअल की धारा 30 पार्ट–11 के अनुसार निगरानी के साथ आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जानी आवश्यक होती है लेकिन निगरानीकर्तागण द्वारा इसकी पालना नहीं की गई है। निगरानी में वर्णित वादग्रस्त प्लाट संख्या डी–13 व डी–14 आवंटन दिनांक 13.07.1996 से सम्बन्धित रिकॉर्ड अपने चहते सरपंच ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर गायब किया गया है। आंवटन की दिनांक 13.07.1996 को सम्बन्धित सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा राज0 पंचायतराज अधिनियम के तहत बने नियमों की पूर्ण पालना की जाकर प्लॉट संख्या डी–13 व डी–14 हमें आवंटन किये गये थे। अतः निगरानीकर्तागण की निगरानी अस्वीकार की जाकर प्लाट संख्या डी–13 व डी–14 का जो आवंटन ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है बहाल रखा जावें।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी बाबत रामनरेश पुत्र हंसराज निवासी 9 एसपीएम तहसील सादुलशहर को गैरनिगरानीकर्ता संख्या–4 के रूप में पक्षकार बनाये जाने बाबत पेश किया, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि निरानीकर्तागण द्वारा पूर्व में प्रेषित प्रार्थना पत्र बाबत निगरानी आदेश दिनांक 03.10.1996 के विरूद्व पेश गलती से की गई, जबकि निगरानी आदेश दिनांक 13.07.1996 का है स्वीकार किया जाकर संशोधित निगरानी पेश करने का स्वीकार किया जा चुका है। अब यह कहना कि रामनरेश पुत्र हंसराज निवासी 9 एसपीएम पक्षकार बनाया जाना रहा गया, दौराने निगरानी स्वीकार योग्य नहीं है। अतः निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी अस्वीकार किया जाता है।

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी ग्राम पंचायत 15 एस.पी.एम. के पूर्व सरपंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.1996 जिसके द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या–2 व गैरनिगरानीकर्ता संख्या–3 को प्लाट संख्या डी–13 व डी–14 का पट्टा जारी किया गया के विरूद्व पेश की है। ग्राम पंचायत 15 एस.पी.एम. उक्त विवादित प्लाट संख्या डी–13 व डी–14 के सम्बन्ध में रिकॉर्ड चाहा गया। ग्राम पंचायत द्वारा अपने पत्र दिनांक 08.10.2014 द्वारा रोकड़ ग्राम पंचायत 15 एसपीएम दिनांक 11.02.1995 से 02.07.1996 मूल पेश की एवंम रसीद बुक दिनांक 26.08.1995 से 28.02.2004 तक पेश की। इसके अलावा ग्राम पंचायत में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है अंकित कर रिपोर्ट पेश की। ग्राम पंचायत से पुनः रिकॉर्ड चाहे जाने पर पुनः दिनांक 24.08.2016 को भी ग्राम पंचायत द्वारा यही रिपोर्ट प्रेषित की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये गये रिकॉर्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया, पूर्व में प्रेषित रिपोर्ट अनुसार जो रिकॉर्ड उपलब्ध था, पूर्व में भिजवाया जा चुका है। इसके अलावा अन्य कोई रिकॉर्ड नहीं है।

हस्तगत निगरानी में प्रश्नगत भूखण्ड संख्या डी–13 का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा निलामी द्वारा कीमतन, पट्टा में अंकित राशि 2625/– रूपये उच्चमत बोली पर जारी होना अंकित किया गया है। भूखण्ड संख्या डी–14 का पट्टा निगरानीकर्ता/गैरनिगरानीकर्ता किसी के द्वारा पेश नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये गये रिकॉर्ड रोकड़ ग्राम पंचायत 15 एसपीएम दिनांक 11.02.1995 से 02.07.1996 मूल पेश की एवंम रसीद बुक दिनांक 26.08.1995 से 28.02.2004 में उक्त निलामी **अनिल कुमार पुत्र सुन्दर लाल जमा करवाई गई हो "कही अंकित नही है" गैरनिगरानीकर्ता संख्या–3 रामनिवास पुत्र हंसराज को निलामी में आवंटित भूखण्ड संख्या डी–14 नो तो पट्टा प्रस्तुत**

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

किया गया है ना ही उक्त रिकॉर्ड में गैरनिगरानीकर्ता संख्या–3 के नाम से कोई राशि जमा करवाई जानी पाई जाती है। जहां तक निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के साथ प्रस्तुत नक्शा ग्राम पंचायत जो प्रमाणित नहीं है परन्तु उक्त नक्शा के अवलोकन से पट्टा ग्राम पंचायत 15 एस.पी.एम. का ही प्रमाणित होता है क्योंकि उक्त नक्शा पर यह नोट अंकित है कि प्रस्ताव संख्य–7 से जारी किया गया है जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत 15 एसपीएम, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत 15 एसपीएम एवं विकास अधिकारी पं.स. सादुलशहरके हस्ताक्षर किये हुऐ है। उक्त नक्शा के अवलोकन किया गया जिसमें अहाता संख्या डी–13 व डी–14 अंकित नहीं है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि उक्त अहाता संख्या–डी–13 व डी–14 अहाता संख्या अंकित कर पट्टे जारी किये गये है वह सन्देहास्पद है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार जाती है एवं निगरानीधीन अहाता संख्या– डी–13 व डी–14 के सम्बन्ध में जारी सन्देहास्पद पट्टे निरस्त किये जाते है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवायी जावें।

आदेश आज दिनांक 29.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर